

03.09.25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अपलोकन करने पर वादी का वादपत्र स्वीकार घोष्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरीक तकमील होकर दाखिल दफ्तर है।

निर्णय लिखा जाकर जुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुनीलकुमार-गौडान)  
R.A.S.

सुनीलकुमार-गौडान  
R.A.S.